सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(5)खान/ग्रुप-2/2017 पार्ट ।। दिनांक 19.04.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

शुभम चौधरी,

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 19 अप्रेल, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 37 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 37 के उप-नियम (3) में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः-

"परन्तु उस मामले में जहां बोली प्राप्त नहीं होती या उप-नियम (7) के खण्ड (छ) के अधीन बोली प्रक्रिया बातिल हो जाती है, वहां बोली पुनः आमंत्रित करने के नोटिस के विभागीय वेबसाइट पर या नीलामी के

लिए नियुक्त एजेंसी की वेबसाइट पर प्रकाशन, जो भी पहले हो, की तारीख से उपर्युक्त सात दिवस की कालावधि की गणना की जायेगी।

[सं. एफ.14(5)खान/ग्रुप-2/2017],
राज्यपाल के आदेश से,
इकबाल
संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

सत्यमेव जयते

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	***Published by Authority***
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट-।। दिनांक 20.06.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 20 जून, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 4 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 4 में,-

(i) उप-नियम (1) के खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति " स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर या सरकार द्वारा समय-समय पर आवधारित प्रीमियम राशि, जो प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदेय होगी " के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर एक बारीय प्रीमियम राशि जो संदेय होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी। ;

(ii) उप-नियम (1) का विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा ; और

(iii) उप-नियम (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 5 का सशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर या सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रीमियम राशि जो प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदेय होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर एक बारीय प्रीमियम राशि संदाय जो अग्रिम रूप से संदेय होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) उप-नियम (1) का विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा। ;

(iii) उप-नियम (1) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक में,-

(क) विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु" प्रतिस्थापित की जायेगी। ; और

(ख) विद्यमान अभिव्यक्ति "वहां खातेदार का पंजीकृत सहमति विलेख इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, यदि ऐसा सहमति विलेख उक्त तीन मास की कालावधि के भीतर-भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वहां खदान अनुज्ञप्ति की स्वीकृति से पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा यदि ऐसा सहमति विलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(iv) विद्यमान उप-नियम (2) के पश्चात और विद्यमान उप-नियम (3) से पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (2क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- "(2 क) जहां मंशा पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत, नियम, 1986 के अधीन लॉटरी के माध्यम से या खातेदारी भूमि में जारी किया गया है और आवेदन इन नियमों के नियम 89 के उपबंधों के अनुसार अस्वीकृत समझा गया था तो जो इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे आवेदन पर विचार किया जायेगा, यदि स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क जो अग्रिम थी, के ढाई गुना के समतुल्य एक बारीय प्रीमियम के संदाय के अध्यधीन रहते हुए इन नियमों के अधीन प्राप्त हुआ था, और जो स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क या किराये के पेटे समायोजित नहीं की जायेगी। ऐसा आवेदन नियम 16 के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा या, यथास्थिति, नियम 17 के उपबंधों के अनुसार संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा निपटाया जायेगा।"।

4. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "स्थिर भाटक के ढाई गुना के बराबर या सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित प्रीमियम राशि जो प्रतिवर्ष अग्रिम रूप से संदेय होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "स्थिर भाटक के ढाई गुना के समतुल्य एक बारीय प्रीमियम जो अग्रिम रूप से संदेय होगा" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) विद्यमान प्रथम परन्तुक हटाया जायेगा ;

(iii) विद्यमान द्वितीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु" प्रतिस्थापित की जायेगी ; और

(iv) विद्यमान तृतीय परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह भी कि" के स्थान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 20 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 20 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(2) सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप की राशि होगीः-

(i) खनन पटटे के लिए वार्षिक स्थिर भाटक के 50 प्रतिशत के बराबर राशि ; और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के 50 प्रतिशत के बराबर राशि।"

6. नियम 23 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 23 के विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(2) पटटे की लिखत में या इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किसी भी विधि या नियम में किसी बात के होते हुए भी,

(i) खनिज रियायत नियम, 1960 के अधीन स्वीकृत किसी भी खनिज और तत्पश्चात अप्रधान खनिज के रूप में घोषित खनिज के खनन पटटे का धारक 31.08.2017 तक 01.09.2014 को विद्यमान दर पर और तत्पश्चात पटटे की लिखत में अंतर्विष्ट समस्त क्षेत्रों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित, अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार स्थिर भाटक सरकार को संदेय करेगा; या

(ii) राजस्थान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन स्वीकृत किसी भी खनिज के खनन पटटे का धारक 31.08.2017 तक 28.02.2017 को विद्यमान दर पर और तत्पश्चात पटटे की लिखत में अंतर्विष्ट समस्त क्षेत्रों के लिए, समय-समय पर यथासंशोधित, अनुसूची 3 में यथाविनिर्दिष्ट दर पर स्थिर भाटक सरकार को संदेय करेगा:

परन्तु उपर्युक्त खण्ड (i) या, यथास्थिति, (ii) के अनुसार संगणित स्थिर भाटक, विद्यमान स्थिर भाटक के दो गुना से अधिक नहीं होगा और यदि अधिक होता है, तो विद्यमान स्थिर भाटक के दो गुना तक सीमित किया जायेगा:

परंतु यह और कि प्रति हैक्टेयर एक हजार रुपये तक विद्यमान स्थिर भाटक संदेय करने वाला खनन पटटे का धारक, प्रति हैक्टेयर न्यूनतम दो हजार रुपये संदेय करेगा: परन्तु यह भी कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अधीन अनुदत्त पटटे के मामले में, खण्ड (।।) के अनुसार स्थिर भाटक का पुनरीक्षण, राजस्थान खनिज रियायत नियम, 1986 के नियम 18 के उप-नियम (3) के अधीन किये गये अंतिम पुनरीक्षण की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात किया जायेगा।"

7. नियम 27 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 27 के उप-नियम (9) में,-

(i) विद्यमान प्रथम परन्तुक के पश्चात और विद्यमान द्वितीय परन्तुक के पूर्व निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि जहां अंतरिती, अन्तरक की पत्नी/पति या पुत्र/पुत्री है तो प्रीमियम राशि पचास हजार रुपये होगी।"; और

(ii) विद्यमान अन्तिम परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "परन्तु यह और कि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "परन्तु यह भी कि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-

(i) उप-नियम (1) में, खण्ड (ii) के विद्यमान उप-खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(ख) इन नियमों के अधीन नीलामी के माध्यम से स्वीकृत पटटे या अनुज्ञप्ति का पटटेदार या अनुज्ञप्तिधारी नियम 13 में यथाविनिर्दिष्ट प्रीमियम राशि का भी संदाय करेगा" ; और

(ii) उप-नियम (2) में, खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसा वार्षिक स्थिर भाटक अग्रिम रूप से संदत्त करेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "त्रैमासिक समान किस्तों पर ऐसा वार्षिक स्थिर भाटक अग्रिम रूप से संदत्त करेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. नियम 53 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 53 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

(2) ईंट मिटटी जिसके लिए अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया गया था की मात्रा निम्नलिखित फार्मूला के आधार पर संगणित की जायेगी:-

ईंट मिटटी की वार्षिक मात्रा (टन) = 150 x डब्ल्यू x एन जहां डब्ल्यू से 9" x 4.5" x 3" के आकार की एक हजार ईंटो का भार अभिप्रेत है और जो 2.8 टन माना जायेगा और एन से इसकी चौड़ाई के साथ ईंट भटटे की बाहरी और भीतरी दीवारों के मध्य ईंटों के क्षैतिज स्तंभ (घोड़ियों) की संख्या अभिप्रेत है। अनुज्ञापत्र की वार्षिक मात्रा की अधिशुल्क अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर उपर्युक्त वर्णित फार्मुला द्वारा संगणित की जायेगी। " ;

(ii) उप-नियम (4) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(viii) वार्षिक अधिशुल्क के एक चौथाई के बराबर प्रथम किस्त; और" ; और

(ख) खण्ड (ix) में विद्यमान अभिव्यक्ति " पन्द्रह हजार रुपये का" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वार्षिक अधिशुल्क के पचास प्रतिशत के बराबर" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(iii) उप-नियम (8) में,-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

(i) अनुज्ञापत्र धारक, त्रैमासिक समान किस्तों पर जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को अंशदान सहित वार्षिक अधिशुल्क अग्रिम में निक्षिप्त करेगा; ";

(ख) विद्यमान खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(v) अनुज्ञापत्र धारक अधिशुल्क की वृद्धि की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर उप-नियम (4) के खण्ड (ix) में यथावर्णित कुल प्रतिभूति निक्षेप की कोई अतिरिक्त राशि निक्षिप्त करायेगा ; " और

(ग) विद्यमान खण्ड (vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे मामले में अनुज्ञापत्र का अध्यर्पण संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा यदि अनुज्ञापत्र धारक के विरूद्ध कोई शोध्य नहीं है" के स्थान पर

अभिव्यक्ति "अनुज्ञापत्र धारक अध्यर्पण की आशयित तारीख वर्णित करते हुए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को कोई शोध्य न होने के प्रमाणपत्र के साथ इस संबंध में आवेदन करके ईंट मिटटी अनुज्ञापत्र को अध्यर्पित कर सकेगा:

परन्तु अनुज्ञापत्र के अध्यर्पण के लिए आवेदन केवल वहां अनुज्ञात किया जायेगा जहां यह एक या अधिक पूर्ण वर्ष (वर्षों) के लिए है।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 74 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 74 के उप-नियम (2) के विद्यमान खण्ड (iv) के पश्चात और विद्यमान खण्ड (v) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (iv-क) अन्तस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(iv-क) गैर वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए आवा कजावा द्वारा ईंटे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली ईंट मिटटी का उत्खनन ;"

11. प्रारूप-6 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-6 में, खण्ड 4 के उप-खण्ड (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वार्षिक स्थिर भाटक", के स्थान पर अभिव्यक्ति "त्रैमासिक समान किस्तों पर संगणित वार्षिक स्थिर भाटक अग्रिम रूप से संदत्त करेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. प्रारूप-28 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-28 में,-

(i) द्वितीय सारणी के शीर्ष में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वार्षिक अनुज्ञापत्र शुल्क" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वार्षिक अधिशुल्क" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) द्वितीय सारणी के स्तंभ 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति " शुल्क" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अधिशुल्क" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(iii) शर्तों में,-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(i) अनुज्ञापत्र धारक, त्रैमासिक समान किस्तों पर जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास को अंशदान सहित वार्षिक अधिशुल्क अग्रिम में निक्षिप्त करेगा; ";

(ख) विद्यमान खण्ड (v) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(v) अनुज्ञापत्र धारक अधिशुल्क की वृद्धि की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर, नियम 53 के उप-नियम (4) के खण्ड (ix) में यथावर्णित कुल प्रतिभूति निक्षेप की कोई अतिरिक्त राशि निक्षिप्त करायेगा ; " और

(ग) विद्यमान खण्ड (अपप) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "ऐसे मामले में अनुज्ञापत्र का अध्यर्पण संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा यदि अनुज्ञापत्र धारक के विरूद्ध कोई शोध्य नहीं है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुज्ञापत्र धारक अध्यर्पण की आशयित तारीख वर्णित करते हुए संबंधित खनि

अभियंता या सहायक खनि अभियंता को कोई शोध्य न होने के प्रमाणपत्र के साथ इस संबंध में आवेदन करके ईंट मिटटी अनुज्ञापत्र को अध्यर्पित कर सकेगाः

परन्तु अनुज्ञापत्र के अध्यर्पण के लिए आवेदन केवल वहां अनुज्ञात किया जायेगा जहां यह एक या अधिक पूर्ण वर्ष (वर्षों) के लिए है।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।,
राज्यपाल के आदेश से,
इकबाल,
संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 06.07.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-';

राज्यपाल के आदेश से,

शुभम चौधरी,

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 6 जुलाई, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 12 में,-

(i) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न '।" के स्थान पर विराम चिह्न ": " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(II) अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु खनिज बजरी (नदी बालू) के मामले में क्षेत्र की पहचान और सीमांकन खसरा-वार किया जायेगा।"

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।]

राज्यपाल के आदेश से,

नसीरूद्दीन कुरेशी,

वरिष्ठ शासन उप सचिव

Government Central Press, Jaipur.

सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020

Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 30.08.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

शुभम चौधरी,

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 30 अगस्त, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (चतुर्थ संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 5 में,-

(i) नियम 5 के पार्श्व शीर्ष में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खनन पटटा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खनन पटटा या खदान अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) उप-नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 16 के उप-नियम (2), (3), और (4)" के स्थान पर अभिव्यक्ति " नियम 16 या, यथास्थिति, नियम 17" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) उप-नियम (2) के विद्यमान परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "पटटा विलेख के निष्पादन" के स्थान पर अभिव्यक्ति " पटटा विलेख के निष्पादन या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति के जारी किये जाने" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) उप-नियम (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खनन पटटे का निष्पादन और पंजीयन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खनन पटटे का निष्पादन और पंजीयन या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में,-

(i) उप-नियम (2) के खण्ड (iii) के तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "स्थिर भाटक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुज्ञप्ति शुल्क" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खदान अनुज्ञप्ति संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा स्वीकृत की जायेगी और आवेदक या, यथास्थिति, सफल बोलीदाता" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 के उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "पंजीयन" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निष्पादन" प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-

(i) उप-नियम (1) के खण्ड (xv) के प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क" के स्थान पर अभिव्यक्ति "विद्यमान स्थिर भाटक या सम्मिलित किये जाने वाले खनिज के स्थिर भाटक, जो भी उच्चतर हो, या, यथास्थिति, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-नियम (2) के खण्ड (iv) के उप-खण्ड (ख) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और प्रेषण" हटायी जायेगी।

6. नियम 37 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 37 के उप-नियम (7) के खण्ड (i) के उप-खण्ड (क) की विद्यमान मद संख्यांक (VI) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(vi) विभाग में ठेकेदार के पंजीयन की स्कैन प्रति;"

7. नियम 44 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 44 के उप-नियम (10) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संकर्म ठेकेदार को पृथक अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संकर्म ठेकेदार को पृथक अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा और यदि खनिज विद्यमान पटटों से अभिप्राप्त किया गया है तो पट्टेदार को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पृथक संदत्त रवन्ना जारी किया जायेगा। ऐसे संकर्म ठेकेदार से प्राप्त अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र शुल्क ठेका राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 51 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 51 के उप-नियम (7) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अल्पावधि अनुज्ञापत्र की कालावधि" के स्थान पर अभिव्यक्ति "क्षेत्र जिसके लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र स्वीकृत किया जा सकेगा एक हैक्टेयर से अधिक नहीं होगा और ऐसे अनुज्ञापत्र की कालावधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. नियम 54 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 54 के उप-नियम (3) के प्रथम परन्तुक के नीचे आयी सारणी में,-

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "हाफ बाडी ट्रक" के स्थान पर अभिव्यक्ति सोलह टन तक सकल वाहन भार वाले ट्रक/डम्पर/कोई अन्य वाहन (वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार)" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 में विद्यमान अभिव्यक्ति "फुल बाडी ट्रक, डंपर, ट्रोला" के स्थान पर अभिव्यक्ति " सोलह टन से अधिक सकल वाहन भार वाले ट्रक/डंपर/कोई अन्य वाहन (वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र के अनुसार) और" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 60 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 60 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अधीक्षण खनि अभियंता," के पश्चात और विद्यमान अभिव्यक्ति "खनि अभियंता" के पूर्व अभिव्यक्ति "अधीक्षण खनि अभियंता (सतर्कता)," अन्तःस्थापित की जायेगी।

11. अनुसूची 6 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 6 में,-

(i) मद संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 5 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कैलकेरियस सैण्ड" हटायी जायेगी; और

(ii) विद्यमान मद संख्यांक 11 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात और विद्यमान मद संख्यांक 12 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नयी मद संख्यांक 11क और उसकी प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जायेंगी, अर्थातः-

"

11क	ख.अ./स.ख.अ.	27	खदान अनुज्ञप्ति के अंतरण के लिए आवेदन का निपटारा करना	उनकी अधिकारिता के भीतर-भीतर पूर्ण शक्तियां

"

12. प्रारूप-22 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-22 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (x) में विद्यमान अभिव्यक्ति "अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अल्पावधि अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा और यदि खनिज विद्यमान पटटों से अभिप्राप्त किया गया है तो पट्टेदार को उपर्युक्त प्रयोजन के लिए संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता द्वारा पृथक संदत्त रवन्ना जारी किया जायेगा। ऐसे संकर्म ठेकेदार से प्राप्त अधिशुल्क या अधिक अधिशुल्क और/या अनुज्ञापत्र शुल्क ठेका राशि के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।" जोड़ी जायेगी।

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।,
राज्यपाल के आदेश से,
इकबाल,
संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान सरकार
खान (ग्रुप–2) विभाग
अधिसूचना
जयपुर, दिनांक 24 DEC 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप–2/2015 पार्ट II :– राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप–2/2015 पार्ट II दिनांक 27.10.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:–

राज्यपाल के आदेश से,

(शुभम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)
अधिसूचना
जयपुर, 27 अक्टूबर, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (पांचवा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 2 का प्रतिस्थापन.– राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न विद्यमान अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची 2
अधिशुल्क की दर
{नियम 28(2)(i),28(3)(i) देखिए}
भाग–क

क्र. सं.	खनिज का नाम	खनिज का गुण, आकृति और आकार	अधिशुल्क की दर (रु. प्रतिटन)
1	2	3	4
1.	सैण्डस्टोन	आयामी पत्थर– (i) ड्रेस, पालिश किया हुआ या कटी हुई पट्टिया पट्टी कातला, अशलर, टाइल्स, फर्श और छत के पत्थर और ब्लॉक्स (ii) अनड्रेस, विषम या खुरदरे पट्टिया, पट्टी	240.00

		कातला, अशलर, टाइल्स, फर्श और छत के पत्थर–	
		(क) जिला भरतपुर, धौलपुर और करौली	155.00
		(ख) जिला कोटा और बूंदी	130.00
		(ग) समस्त अन्य जिले	100.00
		कोबल्स	130.00
		चक्की पत्थर	130.00
		खण्डा–	
		(i) जिला भरतपुर, धौलपुर, करौली और जोधपुर	35.00
		(ii) अन्य जिले	28.00
2.	चूना पत्थर	आयामी पत्थर–	
		(i) फर्श, छत और स्तंभ इत्यादि के रूप में प्रयुक्त पत्थर :–	
		(क) जिला कोटा और झालावाड़	140.00
		(ख) जिला जैसलमेर	125.00
		(ग) जैसलमेर अशलर	40.00
		(घ) सभी अन्य जिले	100.00
		(ii) किसी उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री से भिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त चूना पत्थर (आयामी) का खनिज अपशिष्ट।	28.00
		(iii) खनिज अपशिष्ट यदि उद्योगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है।	120.00
		कोबल्स	130.00
3.	चूना पत्थर और चूना	चूना बनाने के लिए उपयुक्त	120.00
		चूना	175.00
4.	चूना कंकर, झाझड़ा कंकर	चूना कंकर और झाझड़ा कंकर	25.00
5.	संगमरमर, सरपेंटाइन, मेटा–कोंगलोमिरेट्स अन्य सजावटी पत्थर	पट्टिया और टाइलें–	
		(i) पट्टिया और टाइलें जिनका एक आयाम (चौड़ाई) 35 सेंमी. और अधिक है और अन्य तैयार उत्पाद :–	
		(क) भकराना क्षेत्र के लिए	490.00
		(ख) राजस्थान के सभी अन्य क्षेत्रों के लिए	560.00
		(ii) टाइलें जिनका एक आयाम 35 सेंमी. से कम है	455.00
		ब्लॉक्स	
		(i) विषम या असमान ब्लॉक्स	310.00
		(ii) एकल चक्र कटर से प्रसंस्कृत विषम या असमान ब्लॉक्स जिनका व्यास 60 सेंमी. से अधिक नहीं है और जो राजस्थान में अवस्थित हैं:	170.00
		परन्तु ऐसे ब्लॉक्स कारखाना परिसर में प्रसंस्कृत नहीं किये जाते हैं जहां अन्य चक्र कटर जिनका व्यास 60 सेंमी. से अधिक है या किसी भी डिजाइन की गैंगसॉ स्थापित है।	
		क्रेजी	90.00
		उद्योगों में प्रयुक्त खण्डा/क्रेजी	120.00
		चिनाई पत्थर के रूप में प्रयुक्त खण्डा	
		(i) जिला अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर	35.00
		(ii) अन्य जिले	28.00
	परन्तु संगमरमर स्लरी/संगमरमर पाउडर पर कोई अधिशुल्क देय नहीं होगा।		
6.	ग्रेनाइट, डायोराईट और अन्य आग्नेय चट्टान के	ब्लॉक्स	
		(i) ब्लॉक्स जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से	280.00

	प्रकार, जो पोलिश के लिए उपयुक्त हो	अधिक हो (ii) ब्लॉक्स जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक नहीं हो चिनाई पत्थर के रूप में प्रयुक्त खण्डा	120.00 28.00
7.	चिप्स बनाने वाले खनिज जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर, संगमरमर, रायोलाईट, चर्ट, सरपेंटाइन, क्वार्टजाइट इत्यादि	चिप्स बनाने के लिए प्रयुक्त	90.00
8.	चिनाई पत्थर (डोलोमाइट,ग्रेनाइट, चूना पत्थर,रायोलाइट, सैण्डस्टोन, क्वार्टजाइट,शिस्ट, फिलाईट्स इत्यादि)	(i) खण्डा, ब्लास्ट, रोड मैटल, फाचरे, गिट्टी/ग्रिट, पापड़ा, क्रशर डस्ट, ग्रेवल, झाझड़ा, क्वारी रबिश, ग्रेनूलर सब–बेस (जी. एस.बी.) इत्यादि के रूप में प्रयुक्त (क) जिला अलवर, भरतपुर, जयपुर, झुंझुनू और सीकर (ख) अन्य जिले (ii) कोबल्स बनाने के लिए प्रयुक्त	 35.00 28.00 130.00
9.	बजरी, कंकर और साधारण मिट्टी	बजरी कंकर (i) जिला भरतपुर, झुंझनूं, धौलपुर, टोंक और सीकर (ii) अन्य जिले निम्न के उपयोग के लिए साधारण मिट्टी– (i) मिट्टी के बर्तन, टाइलें इत्यादि के विनिर्माण (ii) तटबंध, सड़कें, रेल इत्यादि के संनिर्माण में भराई या समतलीकरण के प्रयोजनों के लिए	 40.00 35.00 16.00 4.00
10	ईंट मिट्टी, मुर्रम, सुर्खी	ईंट मिट्टी, मुर्रम, सुर्खी	25.00
11.	फिलाइट और शिस्ट	ब्लॉक्स	150.00
		आयामी पत्थर जिसका उपयोग पट्टी कातला,छत या फर्श इत्यादि के लिए किया जाता है।	70
12.	स्लेट पत्थर		155.00
13	रंगाई के लिए प्रयुक्त सामान्य क्ले		20.00
14.	(क) ईंट मिट्टी, फिलाइट और शिस्ट, बजरी (ख) विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त शैल, नाइसेस और कोई अन्य चट्टान/खनिज	उद्योग में विशेष प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त	150.00 120.00

भाग–ख

क्र. सं.	खनिज का नाम	खनिज का गुण, आकृति और आकार	अधिशुल्क की दर (रु.प्रतिटन)
1	2	3	4
1.	अगेट		110.00
2.	बाल क्ले	क्रूड़	60.00
		प्रसंस्कृत	120.00
3.	बैराइट्स	सफेद	70.00

		आफ कलर	55.00
4.	बेन्टोनाईट		145.00
5.	केलसाईट		120.00
6.	चॉक		60.00
7.	चाईना क्ले	क्रूड़	50.00
		प्रसंस्कृत	400.00
8.	क्ले (अन्य)		50.00
9.	कोरण्डम		325.00
10.	डायस्पार		120.00
11.	डोलोमाईट	ब्लॉक्स	240.00
		लम्पस	90.00
12.	ड्यूनाईट/पायराक्सेनाईट		40.00
13.	फेलसाइट		80.00
14.	फेलस्पार	ब्लॉक्स	215.00
		लम्पस	60.00
15.	फायरक्ले		70.00
16.	फुलर्स अर्थ		130.00
17.	जिप्सम		125.00
18.	जैस्पार		100.00
19.	केओलिन	क्रूड	50.00
		प्रसंस्कृत	400.00
20.	लैटराईट		60.00
21.	अभ्रक	क्रूड	500.00
		अपशिष्ट और स्क्रैप	80.00
22.	ऑकर (गैरू)		32.00
23.	पायरोफीलाईट		75.00
24.	क्वार्टज		60.00
25.	क्वार्टजाईट	ब्लॉक्स	265.00
		लंप्स	65.00
26.	साल्ट पिटर		3250.00
27.	सिलिका सैण्ड		70.00
28.	सेलखड़ी या टाल्क या सोपस्टोन	खरड़ा (डुंगरपुर जिले की तहसील डुंगरपुर,सिमलवाड़ा, बिच्छीवाड़ा और उदयपुर जिले की तहसील खेरवाड़ा, ऋषभदेव)	30.00
		कीटनाशक श्रेणी	75.00
		कीटनाशक श्रेणी से भिन्न	350.00
29.	ऊपर विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य खनिज		पिटमाउथ मूल्य का 12 प्रतिशत

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप–2/2015 पार्ट.II]
राज्यपाल के आदेश से,
ह0
(ललित कुमार)
संयुक्त शासन सचिव

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 27.11.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

शुभम चौधरी ,

संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 27 नवम्बर, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (षष्ठम संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 2 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची 2 के भाग-क में,-

(i) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में विद्यमान निम्नलिखित प्रविष्टि

''

आयामी पत्थर- (i) फर्श, छत और स्तंभ पत्थर इत्यादि के रूप में प्रयुक्तः- (क) जिला कोटा और झालावाड़	140.00

"

" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"

आयामी पत्थर- (i) फर्श, छत और स्तंभ पत्थर इत्यादि के रूप में प्रयुक्त:- (क) जिला कोटा और झालावाड़	 115.00

"

(ii) क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में विद्यमान निम्नलिखित प्रविष्टि

"

पटिटया और टाइलें- (i) पटिटया और टाइलें जिनका एक आयाम (चौड़ाई) 35 सेंमी. और अधिक है और अन्य तैयार उत्पाद (क) मकराना क्षेत्र के लिए (ख) राजस्थान के सभी अन्य क्षेत्रों के लिए (ii) टाइलें जिनका एक आयाम 35 सेंमी. से कम है ब्लॉक्स (i)विषम या असमान ब्लॉक्स	 420.00 475.00 385.00 265.00

" ; और

(iii) क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 और 4 में विद्यमान निम्नलिखित प्रविष्टि

"

ब्लॉक्स (i) ब्लॉक्स जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक हो	 280.00

"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"

ब्लॉक्स (i) ब्लॉक्स जिनका कोई भी आयाम 70 सेंमी. से अधिक हो	 235.00

"

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट.।।]

राज्यपाल के आदेश से,

ललित कुमार,

संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	**RAJASTHAN GAZETTE** **Extraordinary**
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 28.12.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 28 दिसम्बर, 2017

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 51 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 51 उप-नियम (1) में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "साधारण मिटटी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साधारण मिटटी, बजरी (नदी बालू से भिन्न)" प्रतिस्थापित की जायेगी ;

(ii) अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ": " प्रतिस्थापित किया जायेगा ; और

(iii) अन्त में निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:- ''परन्तु बजरी (नदी बालू से भिन्न) के लिए अल्पावधि अनुज्ञापत्र केवल खातेदारी भूमि में स्वीकृत किया जायेगा।''

[सं. एफ.4(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।,]
राज्यपाल के आदेश से,
ललित कुमार,
संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020
Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 28.02.2018 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी ,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 28 फरवरी, 2018

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 5 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 5 के उप-नियम (4) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''एक वर्ष'', जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति ''तेरह मास'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 6 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 6 के उप-नियम (2) में विद्यमान अभिव्यक्ति "एक वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "तेरह मास" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।]

राज्यपाल के आदेश से,

ललित कुमार,

संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	भाद्र 23, सोमवार, शाके 1942–सितम्बर 14, 2020 *Bhadra 23, Monday, Saka 1942–September 14, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट ।। दिनांक 28.02.2018 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,
शुभम चौधरी ,
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 14 मार्च, 2018

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 7 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 7 के उप-नियम (3) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- "परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के लिए आरक्षित कीमत वार्षिक स्थिर भाटक की दस गुना होगी। ई-नीलामी में प्रस्थापित प्रीमियम राशि अग्रिम रूप से संदत्त की जायेगी और स्थिर भाटक या अधिशुल्क के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।"

3. नियम 8 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (3) के विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्.-

"परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के लिए आरक्षित कीमत वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का दस गुना होगी। ई-नीलामी में प्रस्थापित प्रीमियम राशि अग्रिम रूप से संदत्त की जायेगी और वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।"

4. नियम 9 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 9 में,-

(i) उप-नियम (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "खनिज बजरी (नदी बालू)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बीकानेर जिले के पलाऊ-नहर बालू जमा को छोड़कर, खनिज बजरी" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(ii) उप-नियम (5) के परन्तुक में,-

(क) विद्यमान खण्ड (ii) हटाया जायेगा।;

(ख) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " और उसमें और खण्ड (ii) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट उसकी इच्छा या अनिच्छा, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट की जायेगी" हटायी जायेगी।;

(ग) खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" जहां कहीं आयी हो, हटायी जायेगी।; और

(घ) खण्ड (vi) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" हटायी जायेगी।

5. नियम 10 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (5) के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान खण्ड (ii) हटाया जायेगा।;

(ii) खण्ड (iii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " और उसमें और खण्ड (।।) के अनुसरण में विनिर्दिष्ट उसकी इच्छा या अनिच्छा, यदि कोई हो, भी विनिर्दिष्ट की जायेगी" हटायी जायेगी।;

(iii) खण्ड (iv) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" जहां कहीं आयी हो, हटायी जायेगी।; और

(iv) खण्ड (vi) में विद्यमान अभिव्यक्ति "के दूसरे चक्र" हटायी जायेगी।

6. नियम 12 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 12 में,-

(i) परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "खसरा-वार किया जायेगा" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जी.पी.एस.) या डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (डी.जी.पी.एस.) या खसरा-वार का उपयोग करते हुए किया जा सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) इस प्रकार संशोधित परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि निजी भूमि के मामले में, खनिज रियायत चाहने वाला भूस्वामी आवेदित क्षेत्र के समस्त किनारे के खंभों के डब्ल्यूजीएस 84 डेटम में अक्षांश और देशांतर, जमाबंदी अध्यारोपित खसरा नक्शा के साथ विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन की प्राप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि

अभियंता निदेशालय पर केन्द्रीकृत नीलामी अनुभाग को क्षेत्र के ई-नीलामी के लिए तीस दिवस के भीतर-भीतर ऑनलाइन प्रस्ताव भेजेगा।''

7. नियम 13 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 13 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(2) प्रीमियम राशि के अवधारण के लिए, खनन पटटे या खदान अनुज्ञप्ति के लिए आरक्षित राशि क्रमशः नीलामीधीन क्षेत्र के वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क के पांच गुना के बराबर राशि होगी या ऐसी होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये। '';

(ii) विद्यमान उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(3) बोलीदाता, राज्य सरकार को संदाय के प्रयोजन के लिए नियम 14 में यथावर्णित आरक्षित राशि के बराबर या उससे अधिक कोई राशि बोली मापदण्डों के अनुसार उदधृत करेगा और इस प्रकार उदधृत प्रीमियम राशि वार्षिक स्थिर भाटक या, यथास्थिति, अनुज्ञप्ति शुल्क के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी। सफल बोलीदाता निम्नलिखित रीति से प्रीमियम राशि का चार किस्तों में संदाय करेगा:-

(i) प्रथम किस्त, ई-नीलामी के पूर्ण होने के पन्द्रह दिन के भीतर, प्रीमियम राशि का चालीस प्रतिशत;

(ii) द्वितीय किस्त, खनन पटटा विलेख के निष्पादन या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के पूर्व, प्रीमियम राशि का बीस प्रतिशत;

(iii) तृतीय किस्त, पटटा/अनुज्ञप्ति कालावधि के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ पर, प्रीमियम राशि का बीस प्रतिशत; और

(iv) प्रीमियम राशि का शेष बीस प्रतिशत, पटटा/ अनुज्ञप्ति कालावधि के तृतीय वर्ष के प्रारंभ पर।'';

(iii) विद्यमान उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(4) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में की गयी या की जाने वाली नीलामी या स्वीकृत किये गये किसी भी खनन पटटे या खदान अनुज्ञप्ति के मामले में सफल बोलीदाता द्वारा उदधृत प्रीमियम राशि स्थिर भाटक, अधिशुल्क या, यथास्थिति, वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क में अभिवृद्धि के समय अनुपातिक रूप से पुनरीक्षित हो जायेगी और सफल बोलीदाता या पटटाधारी या, यथास्थिति, अनुज्ञप्तिधारी इस प्रकार वर्धित प्रीमियम संदाय करने का दायी होगा।'';

(iv) विद्यमान उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(5) इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, या राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ से पूर्व प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में स्वीकृत किये गये किसी खनन पटटे या खदान अनुज्ञप्ति, संचालित किये गये या किये जाने वाले किसी नीलामी के मामले में जहां खनन पटटे की स्वीकृति के पश्चात एक या अधिक नये खनिजों का पता लग जाता है वहां सफल बोलीदाता प्रत्येक ऐसे खनिज के बारे में इस प्रकार उदधृत प्रतिशत का भी संदाय करेगा।"; और

(v)इस प्रकार प्रतिस्थापित उप-नियम (5) के पश्चात निम्नलिखित नया उप-नियम (6) जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"(6) खनिज बजरी के मामले, में राज्य सरकार पटटे के पिट माउथ पर अधिकतम विक्रय कीमत विनिर्दिष्ट कर सकेगी और सफल बोलीदाता ऐसी विनिर्दिष्ट कीमत पर बजरी का परिदान या विक्रय करेगा।"

8. नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीस दिवस" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "पन्द्रह दिवस" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) विद्यमान उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम (8) प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(8) उपरली अग्रिम ऑनलाइन इलेक्ट्रोनिक नीलामी निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थातः-

(i) भावी बोलीदाता आर.टी.जी.एस./निफ्ट/नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-नीलामी संचालित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी को बोली आमंत्रित करने के नोटिस में वर्णित समय और तारीख पर नियम 18 के अनुसार बोली प्रतिभूति और सात हजार पांच सौ रुपये की अप्रतिदेय आवेदन शुल्क निक्षिप्त करेगाः

परन्तु भावी बोलीदाता अग्रिम में एकमुश्त राशि निक्षिप्त कर सकेगा और ऐसी राशि से, उस भूखण्ड, जिसके लिए वह बोली लगाने का आशय रखता है, की आवेदन शुल्क और बोली प्रतिभूति की कटौती की जायेगी। बोलीदाता निक्षिप्त राशि के अनुसार कई नीलामियों में भाग ले सकेगा।

(ii) भावी बोलीदाता सभी करों और शुल्कों को मिलाकर इलेक्ट्रोनिक प्लेट फार्म पर उनका राशि प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो आरक्षित राशि से कम नहीं होगा। बोलीदाता का प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्राधिकारियों को समस्त लागू करों और शुल्कों का संदाय करने और विभाग को उनके सबूत प्रस्तुत करने का एकमात्र दायित्व होगाः

परन्तु राशि प्रस्ताव, बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार ई-नीलामी पूर्ण होने तक पुनरीक्षित की जा सकेगी।;

(iii) ई-नीलामी की तारीख, समय और कालावधि बोली आमंत्रित करने की सूचना में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगा। तथापि, ई-नीलामी के अंतिम समय का विस्तार उस दषा में स्वतः हो जायेगा जब कोई बोली इलेक्ट्रोनिक नीलामी के अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इलेक्ट्रोनिक नीलामी के अंतिम समय का विस्तार, सभी अन्य अर्हित बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से आठ मिनट तक स्वतः विस्तारित हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक अंतिम उच्चतम बोली में आठ मिनट की कालावधि तक सुधार नहीं होता है;

(iv) सफल बोलीदाता का एकमात्र विनिष्चय अर्हित बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत उच्चतम वित्तीय बोली के आधार पर किया जायेगा। किसी भी बोलीदाता के साथ कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी;

(v) ई-नीलामी की समाप्ति पर, उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और उसके पश्चात सफल बोलीदाता के नाम और बोली कीमत इत्यादि उपदर्षित करते हुए बोली पत्र एजेंसी द्वारा ई-मेल के माध्यम से चौबीस घण्टे के भीतर-भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। बोली पत्र को प्रबंध सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) रिपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा,

(vi) यदि नीलाम किये गये क्षेत्र में निजी भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई-नीलामी की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता भूस्वामी को प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग सात दिवस के भीतर-भीतर उनकी इच्छा की लिखित अभिपुष्टि चाहते हुए नोटिस जारी करेगा;

(vii) खण्ड (vi) के अधीन दिये गये नोटिस की अभिस्वीकृति भूस्वामी द्वारा दी जायेगी और जो नोटिस की प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर-भीतर लिखित में प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग
करने की सूचना संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को देगा उसके विफल रहने पर यह अर्थान्वयन किया जायेगा कि भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करने का इच्छुक नहीं है;

(viii) यदि भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग करता है, उच्चतम अंतिम कीमत प्रस्ताव से मेल खाता है और अन्य सभी लागू संदाय जमा कर देता है तो भूस्वामी को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और इन नियमों में उपबंधित रीति से खनन पटटे का हकदार होगा। ऐसे मामले में उच्चतम बोलीदाता द्वारा संदत्त बोली प्रतिभूति प्रतिदत्त की जायेगीः

परन्तु जहां भूस्वामी प्रथम इंकार के अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा; और

(ix) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति जमा करा दिये जाने पर सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा बहत्तर घण्टे के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।";

(iii) विद्यमान उप-नियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(10) सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात, सफल बोलीदाता ई-नीलामी के पूर्ण होने के पन्द्रह दिन के भीतर-भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रस्थापित प्रीमियम राशि के चालीस प्रतिशत की प्रथम किस्त के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

(i) विभाग के अदेयता संबंधित शपथपत्रः

(ii) संबंधित खनि अभियंता सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अदेयता प्रमाणपत्र जहां बोलीदाता खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका धारण करता है या उसके द्वारा धारण की गयी थी:

परंतु फर्म, कंपनी या व्यक्तियों के संगम की दशा में, शपथपत्र और अदेय ता प्रमाणपत्र, समस्त भागीदारों, निदेशकों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(iii) यदि बोलीदाता कंपनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, निगमन प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, यदि बोलीदाता फर्म है तो भागीदारी विलेख और फर्म पंजीयन प्रमाणपत्र;

(iv) फर्म या, यथास्थिति, कंपनी के मामले में प्रारूप 4 में यथाविनिर्दिष्ट रूपविधान में मुख्तारनामा या बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड का संकल्प ;

(v) पैन कार्ड या टिन की प्रति;

(vi) पते के सबूत की प्रति; और

(vii) ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर।"

(iv) उप-नियम (11) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''में वर्णित पहली किस्त जमा करने में'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''के उपबंधों का पालन करने में'' प्रतिस्थापित की जायेगी।'';

(v) विद्यमान उप-नियम (12) के पश्चात निम्नलिखित नये उप-नियम (13) और (14) जोड़े जायेंगे, अर्थातः-

''(13) निदेशक लिखित में कारण अभिलिखित करने के पश्चात निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बोलीदाता को विवर्जित कर सकेगा, अर्थातः-

(i) जहां सफल बोलीदाता खनिज रियायत की प्रस्थापित प्रीमियम राशि की किस्त/किस्तें, संपादन प्रतिभूति, वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति शुल्क प्रतिभूति निक्षेप, निक्षिप्त नहीं करवाता है या खनन पटटे का निष्पादन करने में असफल रहता है;

(ii) जहां बोलीदाता को नीलामी प्रक्रिया के दौरान, या खनिज रियायत की स्वीकृति या निष्पादन या स्वीकृति के पश्चात प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या किसी एजेन्ट के माध्यम से किसी भी भ्रष्ट आचरण, कपटपूर्ण आचरण, प्रपीड़क आचरण, अवांछनीय आचरण या निर्बंधनात्मक आचरण में लगा हुआ या लिप्त पाया जाता है और यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हैं कि बोलीदाता या उसका कर्मचारी रिश्वत, भ्रष्टाचार, कपट, ऋजु नीलामी प्रक्रिया के दूषण जैसे अनाचार का दोषी पाया जाता है;

(iii) जहां बोलीदाता या उसके भागीदार या उसके प्रतिनिधि को खनिज रियायत से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षत जुडे हुए सरकार के किसी अधिकारी या पदधारी के साथ दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, और

(iv) जहां बोलीदाता या उसके भागीदार या उसके प्रतिनिधि को खनिज रियायत के नीलामी से उदभूत नैतिक अधमता से अंतर्वलित अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाता है।; और

(14) निदेशक, बोलीदाता को विवर्जित करने के पश्चात उसे पन्द्रह दिवस का नोटिस देने के पश्चात, भावी नीलामी के लिए बोलीदाता को पांच वर्ष की कालावधि के लिए भाग लेने के लिए काली सूची में डाल सकेगा।''

9. नियम 15 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 15 में,-

(i) विद्यमान उप-नियम (5) हटाया जायेगा।;

(ii) विद्यमान उप-नियम (6) हटाया जायेगा।;

(iii) उप-नियम (7) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''अंतिम बोली प्रस्ताव'' जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति '' बोली प्रस्ताव'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(iv) उप-नियम (10) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''निविदा'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''नीलामी'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

(v) विद्यमान उप-नियम (12) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- (12) सरकार, अपने एक मात्र विवेक से एक संशोधन जारी

कर, आवेदन शुल्क प्राप्त करने की तारीख और बोली प्रतिभूति या बोली बकाया तारीख को बढ़ा सकेगी और विभाग की और ई-नीलामी के लिए नियुक्त एजेन्सी की वेबसाइट पर प्रकाशित शुद्धि-पत्र के माध्यम से समस्त बोलीदाताओं को उपलब्ध करायेगी।

(vi) उप-नियम (13) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" केस्थान पर अभिव्यक्ति "नीलामी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(vii) उप-नियम (15) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी " प्रतिस्थापित की जायेगी।

(viii) उप-नियम (16) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी " प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ix) उप-नियम (17) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी " प्रतिस्थापित की जायेगी।

(x) उप-नियम (18) में विद्यमान अभिव्यक्ति "निविदा प्रक्रिया" जहां कहीं भी आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति " नीलामी प्रक्रिया" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 में,-

(i) उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ज)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 9 के उप-नियम (5) के खण्ड (vi) या नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (viii)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) उप-नियम (2) में .-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः- "(i) निजी भूमि के मामले में मंषा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी की पंजीकृत सहमति प्रस्तुत करेगा;"; और

(ख) तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मंशा-पत्र के जारी किये जाने की तारीख से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "मंशा-पत्र में विनिर्दिष्ट समय कालावधि के अवसान के पश्चात" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(iii) उप-नियम (5) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीसरी किस्त का संदाय करेगा जो न्यूनतम प्रत्याभूति प्रीमियम की पचास प्रतिशत होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दूसरी किस्त का संदाय करेगा जो प्रस्थापित प्रीमियम की बीस प्रतिशत होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(iv) उप-नियम (6) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 13 के उप-नियम (5) में यथावर्णित प्रीमियम राशि के संदाय के अध्यधीन रहते हुए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 28 के उप-नियम (1) के खण्ड (xv) के उपबन्धों के अनुसार" प्रतिस्थापित की जायेगी।

11. नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 में.-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति " नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (ज)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 10 के उप-नियम (5) के खण्ड (vi) या नियम 14 के उप-नियम (8) के खण्ड (viii)" प्रतिस्थापित की जायेगी।;

(ii) उप-नियम (2) में.-

(क) विद्यमान खण्ड (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"(i) निजी भूमि के मामले में "मंशा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी की पंजीकृत सहमति प्रस्तुत करेगा;"; और

(ख) तृतीय परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "मंशा-पत्र के जारी होने की तारीख से" के स्थान पर अभिव्यक्ति " मंशा-पत्र में विनिर्दिष्ट समयावधि के अवसान के पश्चात" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(iii) उप-नियम (3) में विद्यमान अभिव्यक्ति "तीसरी किस्त प्रारूप 7 में खदान अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व संदत करेगा जो प्रस्तावित प्रीमियम की पचास प्रतिशत होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दूसरी किस्त प्रारूप 7 में खदान अनुज्ञप्ति जारी करने के पूर्व संदत करेगा जो प्रस्तावित प्रीमियम की बीस प्रतिशत होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

12. नियम 18 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (2) के खण्ड (i) में विद्यमान अभिव्यक्ति "वार्षिक स्थिर भाटक" के स्थान पर अभिव्यक्ति "वार्षिक स्थिर भाटक का दो गुना या एक लाख रुपये, जो भी अधिक हो," प्रतिस्थापित की जायेगी।

13. नियम 21 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 21 में,-

(i) उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अतिशेष न्यूनतम प्रत्याभूत विनियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दूसरी किस्त जो प्रस्थापित प्रीमियम के बीस प्रतिशत होगी" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(ii) उप-नियम (5) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यूनतम प्रत्याभूत प्रीमियम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रस्थापित प्रीमियम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

14. नियम 28 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 28 में,-

(i) उप-नियम (1) के खण्ड (xv) में,-

(क) प्रथम परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नीलामी के माध्यम से" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ के पश्चात प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में पटटे और नीलामी या स्वीकृत की गयी अनुज्ञप्ति के माध्यम से" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ख) विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"परन्तु यह और कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारंभ के पूर्व प्रकाशित बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसरण में स्वीकृत किये गये खनन पटटे के मामले में, नये पता चले खनिज को नियम 13 के उप-नियम (5) में यथावर्णित प्रीमियम राशि के संदाय के अध्यधीन रहते हुए सम्मिलित किया जायेगा; " और

(ii) उप-नियम (2) के विद्यमान खण्ड (xi) के पश्चात और विद्यमान खण्ड (xii) से पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड (xi-क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(xi-क) वृहत लोकहित में, राज्य सरकार पटटे के पिट माउथ पर खनिज बजरी का अधिकतम विक्रय कीमत विनिर्दिष्ट कर सकेगी और पटटेदार ऐसी विनिर्दिष्ट कीमत पर खनिज का परिदान या विक्रय करेगा।"

15. नियम 37 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 37 में,-

(i) उप-नियम (4) में,-

(क) अन्त में आये विद्यमान विराम चिन्ह "।" के स्थान पर विराम चिन्ह् ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ख) निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि आशय रखने वाला बोलीदाता जो इस विभाग में पंजीकृत नहीं है, इस शर्त के अध्यधीन ई-नीलामी में भाग ले सकेगा कि वह खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को ई-नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर विभागीय पंजीयन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।";

(ii) विद्यमान उप-नियम (7) के स्थान पर निम्नलिखित उप- नियम (7) प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

(7) उपरली अग्रिम आनलाइन इलेक्ट्रोनिक नीलामी निम्नलिखित रीति से किया जायेगा, अर्थात:-

(i) भावी बोलीदाता आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी/नेट बैंकिंग के माध्यम से ई-नीलामी संचालित करने के लिए प्राधिकृत एजेंसी को बोली आमंत्रित करने के नोटिस में वर्णित समय और तारीख पर नियम 39 के अनुसार बोली प्रतिभूति निक्षिप्त करेंगे:

परन्तु भावी बोलीदाता अग्रिम में एकमुश्त राशि निक्षिप्त कर सकेगा और ऐसी राशि से, उस ठेके की बोली प्रतिभूति जिसके लिए उसका बोली लगाने का आशय है, की कटौती की जायेगी। बोलीदाता निक्षिप्त राशि के अनुसार कई नीलामियों में भाग ले सकेगा।

(ii) भावी बोलीदाता सभी करों और शुल्कों सहित इलेक्ट्रोनिक प्लेट फार्म पर अपनी-अपनी बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो आरक्षित राशि से कम नहीं होगी। बोलीदाता का प्रत्यक्ष रूप से संबंधित प्राधिकारियों को

समस्त लागू करों और शुल्कों का संदाय करने और उस विभाग को उनके सबूत प्रस्तुत करने का एकमात्र उत्तरदायित्व होगा:

परन्तु बोली प्रस्ताव बोली आमंत्रित करने के नोटिस के अनुसार ई-नीलामी पूर्ण होने तक पुनरीक्षित की जा सकेगी।

(iii) ई-नीलामी की तारीख, समय और कालावधि बोली आमंत्रित करने के नोटिस में वर्णित अनुसूची के अनुसार होगी। तथापि, ई-नीलामी के अंतिम समय का विस्तार उस दषा में स्वतः हो जायेगा जब कोई बोली इलेक्ट्रोनिक नीलामी के अनुसूचित अंतिम समय के पूर्व अंतिम आठ मिनट के दौरान प्राप्त होती है। इलेक्ट्रोनिक नीलामी का अंतिम समय सभी अन्य अर्हित बोलीदाताओं को समान अवसर देने के लिए, प्राप्त अंतिम बोली समय से आठ मिनट तक स्वतः विस्तारित हो जायेगा। स्वतः विस्तार की यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक अंतिम उच्चतम बोली में आठ मिनट की कालावधि तक सुधार नहीं होता है;

(i) सफल बोलीदाता का एकमात्र विनिष्चय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत उच्चतम बोली के आधार पर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी भी बोलीदाता के साथ कोई भी बातचीत नहीं की जायेगी;

(ii) ई-नीलामी की समाप्ति पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जायेगा और उसके पश्चात सफल बोलीदाता का नाम और बोली राशि इत्यादि उपदर्षित करते हुए बोली नियुक्त एजेंसी द्वारा ई-मेल के माध्यम से चौबीस घण्टे के भीतर-भीतर उपलब्ध कराया जायेगा। बोली पत्र प्रबंध सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) रिपोर्ट के माध्यम से डाउनलोड किया जायेगा; और

(iii) सफल बोलीदाता द्वारा संपादन प्रतिभूति जमा करा दिये जाने पर सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति नीलामी के लिए नियुक्त एजेंसी द्वारा बहत्तर घण्टे के भीतर-भीतर प्रतिदत्त की जायेगी।''; और

(iii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (7) के पश्चात और विद्यमान उप-नियम (8) के पूर्व निम्नलिखित नया उप-नियम (7क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

''(7क) सफल बोलीदाता की घोषणा के पश्चात सफल बोलीदाता ई-नीलामी के पूर्ण होने के पन्द्रह दिवस के भीतर-भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः-

(i) विभाग में ठेकेदार के पंजीयन की प्रति;

(ii) विभाग के अदेयता संबंधित शपथपत्रः

(iii) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से प्राप्त अदेत या प्रमाणपत्र जहां बोलीदाता खनिज रियायत या अधिशुल्क संग्रहण ठेका या अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेका धारण करता है या धारण की थी:

परंतु फर्म, कंपनी या व्यष्टियों के संगम की दशा में, शपथपत्र और अदेय ता प्रमाणपत्र, समस्त भागीदारों, निदेशकों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

(iv) यदि बोलीदाता कंपनी है तो संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, निगमन प्रमाणपत्र या, यथास्थिति, यदि बोलीदाता फर्म है तो भागीदारी विलेख और फर्म पंजीयन प्रमाणपत्र;

(v) फर्म या, यथास्थिति, कंपनी के मामले में प्रारूप 4 में यथाविनिर्दिष्ट रूपविधान में मुख्तारनामा या बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड का संकल्प ;

(vi) पैन कार्ड या टिन की प्रति;

(vii) पते के सबूत की प्रति; और

(viii) ई-मेल पता और मोबाइल नम्बर।"

16. नियम 51 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 51 के उप-नियम (10) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "उप-नियम (9)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उप-नियम (9) या नियम 44 के उप-नियम (10) के अनुसार विद्यमान पटटाकर्ताओं से पृथक अधिशुल्क संदत्त रवन्ना अभिप्राप्त कर सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

17. नियम 52 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 52 के उप-नियम (1) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "किसी व्यक्ति को पटटा क्षेत्र या खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र के अंदर या बाहर पड़े अतिभार या साधारण मिटटी या मोर्रम के प्रेषण के लिए ऐसी विशेष अनुज्ञापत्र शुल्क के संदाय पर अनुज्ञापत्र स्वीकृत कर सकेगा जिसकी गणना प्रति टन दस रुपये की दर से की जायेगी या जो समय-समय पर पुनरीक्षित की जाये जो अधिशुल्क, समय-समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दर से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास में अभिदाय के अतिरिक्त होगी" के स्थान पर अभिव्यक्ति" जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दर से जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास के अग्रिम संदाय पर किसी पटटा क्षेत्र या खदान अनुज्ञप्ति क्षेत्र के भीतर या बाहर रखे हुये अतिभार या साधारण मिटटी या मोर्रम के प्रेषण के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञा स्वीकृत कर सकेगा" प्रतिस्थापित की जायेगी।

18. नये नियम 68क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 68 के पश्चात और विद्यमान उप-नियम 69 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 68क अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थातः-

"68क. बजरी खनन के मार्गदर्शक सिद्धान्त.- खनिज बजरी के खनन के लिए, राज्य सरकार समय-समय पर मार्गदर्शक सिद्धांत जारी कर सकेगी। इस प्रकार जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त इन नियमों से असंगत नहीं होंगे।

19. नियम 74 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 74 के उप-नियम (2) के खण्ड (ix) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, रेल टैंक और बांधों को छोड़कर सरकारी संकर्मो में सड़कों या तटबंधों, एनिकटों के संनिर्माण के लिए किया जाता है" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग रेल टैंक को छोड़कर सरकारी संकर्मो में सड़कों या तटबंधों, एनिकटों, नहरों, बांधों और बांधों को छोड़कर के संनिर्माण के लिए किया जाता है" प्रतिस्थापित की जायेगी।

20. अनुसूची 2 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 2 के भाग-क के क्रम संख्यांक 5 के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "संगमरमर स्लरी" के स्थान अभिव्यक्ति "मकराना के बोरावाड क्षेत्र में कुमारी पत्थर के रूप में प्रयुक्त चिनाई पत्थर और संगमरमर स्लरी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

21. अनुसूची 3 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची 3 के भाग-क के क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तंभ 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "3.00" के स्थान अभिव्यक्ति "6.00" प्रतिस्थापित की जायेगी।

22. प्रारूप-3 का हटाया जाना.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्रारूप-3 हटाया जायेगा।

23. प्रारूप-4 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्रारूप-4 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "[नियम 14(8)(i)(क)(vii) देखिए]" के स्थान पर अभिव्यक्ति "[नियम 14(10)(iv) और 37(7क)(v) देखिए]" प्रतिस्थापित की जायेगी।; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "बोली आमंत्रित करने की सूचना दिनांक.....के प्रत्युत्तर में खनिज ब्लाक/संविदा (खनिज ब्लाक/ संविदा का नाम) ("खनिज ब्लाक/ संविदा")" के स्थान पर अभिव्यक्ति "बोली आमंत्रित करने के नोटिस के प्रत्युत्तर में खनन पटटे/खदान अनुज्ञप्ति/अधिशुल्क संग्रहण संविदा/अधिक अधिशुल्क संग्रहण संविदा का ई-नीलामी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं. प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-।।,
राज्यपाल के आदेश से,
ललित कुमार,
संयुक्त शासन सचिव

Government Central Press, Jaipur.

1266

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 14, बुधवार, *शाके* 1942–फरवरी 3, 2021 *Magha 14, Wednesday, Saka 1942- February 3, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 25, 2021

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015पार्ट-II:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015पार्ट-II दिनांक 25.06.2018 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-

राज्यपाल के आदेश से,
ओम कसेरा,
संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, 25 जून, 2018

जी.एस.आर.57- खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं-67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान गौण खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 है।

(2)ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.नियम 12 का संशोधन.- राजस्थान गौण खनिज रियायत नियम, 2017, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 12 के द्वितीय परन्तुक मे, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि के मामले में खनिज रियायत चाहने वाला भूस्वामी", के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हैक्टेयर से अधिक खातेदारी भूमि के मामले में, खनिज रियायत चाहने वाला खातेदार प्रतिस्थापित किया जाता है।

3.नियम 13 का संशोधन.-उक्त नियमों के नियम 13 के उप नियम (1) के परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामियों", जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारों" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

4.नियम 14 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 14 में,-

(i) उपनियम (4) के खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामियों" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारों" प्रतिस्थापित किया जाता है; और

(ii) उप नियम (8) में,-

(क) खण्ड (vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई- नीलामी की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता भूस्वामी को" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारी भूमि अन्तर्विष्ट है तो ई-नीलामी की समाप्ति पर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता खातेदार को" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

(ख) खण्ड(vii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामी" , जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ग) खण्ड(viii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामी" जहां कहीं आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ; और

(घ) खण्ड(viii) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "भूस्वामियों" , के स्थान पर अभिव्यक्ति "खातेदारों" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

5.नियम 16 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 16 के उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि में मामले में मंशा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की खातेदारी भूमि के मामले में मंशा-पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

6.नियम 17 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 17 के उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "निजी भूमि के मामले में मंशा पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर भू-स्वामी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार हैक्टयर से अधिक क्षेत्र की खातेदारी भूमि के मामले में मंशा पत्र जारी किये जाने की तारीख से साठ दिवस के भीतर-भीतर खातेदार" प्रतिस्थापित किया जाता है ।

7.नये नियम 17क का अन्तःस्थापन.- उक्त नियमों के इस प्रकार संशोधित नियम 17 के पश्चात् और विद्यमान नियम 18 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 17क अन्तः स्थापित किया जाता है, अर्थात्

"17क. खातेदारी भूमि मे खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी-

(1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संबंधित खातेदार को खातेदारी भूमि में खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी, क्रमश: वार्षिक स्थिर भाटक या अनुज्ञप्ति फीस के पांच गुने के समतुल्य प्रीमियम रकम के भुगतान किए जाने के अध्यधीन होगी। प्रीमियम राशि वार्षिक स्थिर भाटक या, अनुज्ञप्ति फीस, के विरूद्ध समायोजित नहीं की जायेगी।

(2) अधिकतम क्षेत्र चार हैक्टेयर होगा और न्यूनतम क्षेत्र,-

(i) खनन पट्टे की दशा में, एक हैक्टेयर; और

(ii) खदान अनुज्ञप्ति की दशा में, नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार होगा।

(3) प्रीमियम की राशि पांच किस्तो में निम्नलिखित रीति से संदत्त की जायेगी:-

(i) प्रथम किस्त, खनन पट्टा विलेख के निष्पादन या खदान अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने के पश्चात् प्रथम वित्तीय वर्ष (अर्थात 31 मार्च) की समाप्ति से पूर्व प्रीमियम राशि का बीस प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण : उदाहरण के लिए, यह धारणा करते हैं कि खनन पट्टा नवम्बर माह में निष्पादित हुआ है तो प्रथम किस्त उत्तरवर्ती वर्ष के मार्च माह की समाप्ति से पूर्व संदत्त की जाएगी।; और

(ii) द्वितीय और पश्चात्वर्ती तीन किस्तें, क्रमिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रीमियम राशि में बीस प्रतिशत;

(4) खनन पट्टा या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन शुल्क दस हजार रूपये की अप्रतिदेय फीस के साथ, संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को प्रारूप - 1 में ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

(5) खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक ऑनलाईन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्केन प्रतियां संलग्न की जायेंगी, अर्थात्

(i) स्थायी खाता संख्यांक कार्ड (PAN) या करदाता पहचान संख्यांक (TIN) की प्रति;

(ii) फोटो पहचान और पते के सबूत के लिए चालन अनुज्ञप्ति या मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड की प्रति;

(iii) भागीदारी फर्म की दशा में, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 या परिसीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन जारी भागीदारी विलेख ओर फर्म पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति या कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन पंजीकृत कंपनी की दशा में संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद और निगमन प्रमाणपत्र की प्रति;

(iv) कंपनी की ओर से आवेदन करने पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में निदेशक बोर्ड द्वारा पारित संकल्प पत्र की प्रति;

(v) जहां आवेदन पर सभी भागीदारों या, यथास्थिति, व्यष्टियों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये हो, ऐसी फर्म या व्यष्टि संगम की ओर से आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में पंजीकृत मुख्तारनामे की प्रति;

(vi) संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता से अदेयता प्रमाणपत्र की प्रति यदि आवेदक या उसके कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई भी खनिज रियायत या रॉयल्टी या अधिक रॉयल्टी संविदा धारित करता है या धारित की है:

परन्तु ऐसा प्रमाणपत्र व्यष्टि संगम के सभी सदस्यों या भागीदारी फर्म के सभी भागीदारों या प्राईवेट परिसीमित कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा भी दिया जायेगा यदि आवेदक व्यष्टि संगम या भागीदारी फर्म या, यथास्थिति, प्राईवेट परीसिमित कंपनी है। परिसीमित कंपनी या, यथास्थिति, सरकारी उपक्रम की दशा में कंपनी या उपक्रम द्वारा अदेयता प्रमाणपत्र भी दिया जायेगा ।

परन्तु यह और कि सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा शोध्यों पर रोक

लगाते हुए कोई व्यादेश जारी किया गया है तो उसके असंदाय को खनन पट्टे की मंजूरी के लिए निर्रहता नहीं माना जायेगा:

परन्तु यह भी कि अंदेयता प्रमाणपत्र की वहां अपेक्षा नहीं की जायेगी जहां आवेदक फर्म के भागीदारों, प्राईवेट परिसीमित कंपनी के निदेशकों, व्यष्टि संगम, परिसीमित कंपनी या सरकारी उपक्रम के सदस्यों ने, सरकार के समाधानप्रद रूप में, यह कथन करते हुए शपथपत्र दे दिया है कि वह या उसका कुटुंब का सदस्य राज्य में कोई खनिज रियायत, रॉयल्टी या अधिक रॉयल्टी संग्रहण धारित नहीं करता है या धारित नहीं की है;

(vii) आवेदक द्वारा खनिज रियायत के अधीन पहले से धारित क्षेत्रों की, जिनमें अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारित क्षेत्र, आवेदित किन्तु मंजूर नहीं किया गया हो और मंजूर किन्तु संविदा निष्पादित या पंजीकृत नहीं किया गया क्षेत्र भी सम्मिलित है, विशिष्टयां देते हुए शपथपत्र की प्रति;

(viii) व्यष्टि या व्यष्टि संगम या फर्म के सभी सदस्यों या भागीदारी फर्म या कंपनी के सभी भागीदारों या कंपनी या, यथास्थिति, सरकारी उपक्रम के सभी निदेशकों का ई-मेल पता और मोबाईल नंबर;

(ix) आवेदक और समस्त भागीदारों, सदस्यों या निदेशकों का हाल ही का पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो यदि आवेदक फर्म या व्यष्टि संगम या, यथास्थिति, कंपनी है;

(x) आवेदित क्षेत्र के किनारें के खंभो के डब्ल्यूजीएस 84 डेटम में अक्षांश और देशान्तर के साथ आवेदित क्षेत्र योजना और वर्णन रिपोर्ट की प्रति; और

(xi) खसरा नक्शा ट्रेस, खसरा या आराजी संख्यांक, जमाबंदी और आवेदित क्षेत्र में आने वाले खसरा या आराजी के क्षेत्र की सीमा के साथ आवेदित क्षेत्र के राजस्व ब्यौरे की और परतदार नक्शे की प्रति।

(6) उप-नियम (4) के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन पत्र की अभिस्वीकृति आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के समय प्रारूप-2 में ऑनलाईन दी जायेगी।

(7) उप-नियम (5) में यथावर्णित स्व-प्रमाणित दस्तावेजों के साथ सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र उसके ऑनलाईन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पंद्रह दिवस की कालावधि के भीतर संबंधित खनि अभियंता या सहायक खनि अभियंता को भौतिक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा और उसकी अभिस्वीकृति संबंधित कार्यालय द्वारा दी जायेगी।

(8) इस नियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, नियम 16 या, यथास्थिति, नियम 17, के उपबंध इस नियम के अधीन, खनन पट्टे या, यथास्थिति, खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और आवेदन पत्र पर विनिश्चय की सूचना रजिस्ट्रकृत पते और आवेदक के ई-मेल पर दी जायेगी।

(9) जहां यह प्रतीत हो कि आवेदन पत्र सभी तात्विक विशिष्टियों में पूर्ण नहीं है

या उसके साथ अपेक्षित दस्तावेज नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी तीस दिवस का नोटिस जारी करके सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करेगा और जमा आवेदन फीस और प्रीमियम रकम समपहृत करेगा।

(10) राजस्थान गौण खनिज रियायत (तीसरा संशोधन) नियम, 2018 के प्रारम्भ से पूर्व बोली आमंत्रित करने की सूचना के प्रकाशन के अनुसरण में कोई नीलामी संचालित होने या संचालित किए जाने या किसी खनन पट्टे या खदान अनुज्ञप्ति की मंजूरी की दशा में, इस नियम के उपबंध लागू नहीं होंगे"।

8. प्रारूप-1 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्रारूप-1 में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "खनन पट्टे के लिए आवेदन पत्र (नियम 4(2) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खनन पट्टे / खदान अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन, (नियम 4(2) और 17क (4) देखिए)" प्रतिस्थापित की जाती है,

(ii) क्रम संख्यांक 1 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "खनन पट्टा" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खनन पट्टा / खदान अनुज्ञप्ति" प्रतिस्थापित की जाती है।

(iii) क्रम संख्यांक 2 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 4(2)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 4(2) और 17क (4)" प्रतिस्थापित की जाती है;

(iv) क्रम संख्यांक 8(क) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 4(3)(x)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 4(3)(x) और 17क (5)(x)" प्रतिस्थापित की जाती है; और

(v) क्रम संख्यांक 8(ख) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "नियम 4(3)(xi)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "नियम 4(3)(xi) और 17क (5)(xi)" प्रतिस्थापित की जाती है;

9.प्रारूप-2 का संशोधन.- उक्त नियमों में संलग्न प्रारूप-2 में.-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "खननपट्टा (नियम 4(5) देखिए)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति (नियम 4(5) और 17क(6) देखिए)" प्रतिस्थापित की जाती है; और

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "खनन पट्टे के लिए" के स्थान पर अभिव्यक्ति "खनन पट्टो/ खदान अनुज्ञप्ति के लिए" प्रतिस्थापित की जाती है;

[सं. एफ.14(9)खान/ग्रुप-2/2015-पार्ट-II]

राज्यपाल के आदेश से,

ललित कुमार,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

1271

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 14, बुधवार, *शाके* 1942–फरवरी 3, 2021 *Magha 14, Wednesday, Saka 1942- February 3, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 25, 2021

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015पार्ट-II:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(13)खान/ग्रुप-2/2018 दिनांक 22.08.2019 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-

राज्यपाल के आदेश से,

ओम कसेरा,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 22, 2019

जी.एस.आर.248 :-खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957, (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2.अनुसूची 2 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची-2 के विद्यमान भाग-ख के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	खनिज का नाम	खनिज का गुण, आकृति और आकार	रॉयल्टी(रू0 प्रतिटन)
1	2	3	4
1.	अगेट		110.00
2.	बाल क्ले	क्रूड	75.00
		प्रसंस्कृत	150.00
3.	बैराइट्स	सफेद	90.00
		ऑफ कलर	70.00
4.	बेन्टोनाईट		145.00
5.	केलसाईट		160.00
6.	चॉक		60.00
7.	चाईना क्ले, केओलिन	क्रूड	65.00
		प्रसंस्कृत	500.00
8.	क्ले (अन्य)		50.00
9.	कोरण्डम		325.00
10.	डायस्पार		120.00
11.	डोलोमाईट	ब्लॉक्स	265.00
		लम्पस	130.00
12.	ड्यूनाईट/पायराक्सेनाईट		40.00
13.	फेलसाइट		80.00
14.	फेलस्पार	ब्लॉक्स	235.00
		लम्पस	90.00
		कान्टी ग्रेड	60.00
15.	फायरक्ले		80.00
16.	फुलर्स अर्थ		130.00
17.	जिप्सम		160.00
18.	जेस्पार		125.00
19.	लैटराईट		80.00
20.	अभ्रक	क्रूड	625.00
		अपशिष्ट और स्क्रैप	150.00
21.	अकर (गैरू)		32.00
22.	पायरोफीलाईट		100.00
23.	क्वार्टज		90.00
24.	क्वार्टजाईट	ब्लॉक्स	265.00
		लंप्स	90.00
25.	साल्ट पिटर		3250.00

26.	सिलिका सैण्ड		90.00
27.	सेलखेड़ी या टॉल्क या सोपस्टोन	टॉल्क श्रेणी	450.00
		टॉल्क श्रेणी से भिन्न	100.00
28.	ऊपर विनिर्दिष्ट न किये गये अन्य खनिज		पिटमाउथ मूल्य का 20 प्रतिशत

[सं.एफ.14(13)खान/ग्रुप-2/2018]
राज्यपाल के आदेश से,
डॉ. बी.डी. कुमावत,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

माघ 14, बुधवार, *शाके* 1942–फरवरी 3, 2021
Magha 14, Wednesday, Saka 1942- February 3, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 25, 2021

संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015पार्ट-II:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(13)खान/ग्रुप-2/2018 दिनांक 03.01.2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-

राज्यपाल के आदेश से,

ओम कसेरा,

संयुक्त शासन सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 03, 2020

जी.एस.आर.247 :-खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम,1975 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं.67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 2 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची-2 के विद्यमान भाग-ख की प्रतिवष्टियों और विद्यमान मद संख्यांक 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

14.	फेलस्पार	ब्लॉक्स	235.00
		लम्पस	90.00

[सं.एफ.14(13)खान/ग्रुप-2/2018]

राज्यपाल के आदेश से,

भगवती प्रसाद,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 26, सोमवार, शाके 1943-अक्टूबर 18, 2021 *Asvina 26, Monday, Saka 1943- October 18, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 13, 2021

जी.एस.आर.358 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या प.14(7)खान/ग्रुप-2/2014 दिनांक 20.03.2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

[संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015पार्ट-II]
राज्यपाल के आदेश से,
राजेंद्र शेखर मक्कड़,
शासन उप सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 20, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय सं.67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. अनुसूची 2 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 से संलग्न अनुसूची 2 के भाग-क में,-(i) क्रम संख्याक 5 के सामने स्तंभ संख्याक 3 में, विद्यमान अभिव्यक्ति

"उद्योगों में प्रयुक्त खंडा/क्रेजी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "उद्यागों में प्रयुक्त खंडा/क्रेजी/पाउडर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और (ii) क्रम संख्याक 5 के परंतुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "संगमरमर स्लरी संगमरमर पाउडर" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संगमरमर स्लरी" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.14(7)खान/(ग्रुप-2)/2014 भाग]
राज्यपाल के आदेश से,
कमलेश सिंह चौहान,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।

	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आश्विन 28, बुधवार, शाके 1943-अक्टूबर 20, 2021 *Asvina 28, Wednesday, Saka 1943- October 20, 2021*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

खान (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 13, 2021

जी.एस.आर.359 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016 दिनांक 15.09.2020 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैं:-

[संख्या प.14(9)खान/ग्रुप-2/2015 पार्ट-II]

राज्यपाल के आदेश से,

राजेंद्र शेखर मक्कड़,

शासन उप सचिव।

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 15, 2020

खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम सं.67) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 28 का संशोधन.- राजस्थान अप्रधान (गौण) खनिज रियायत नियम, 2017 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 28 के उप-नियम (1) के खण्ड (ii) के उप-खण्ड (क) में विद्यमान अभिव्यक्ति "समय-समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों से" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिदान करेगा;" से पूर्व अभिव्यक्ति "और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में" अंतः स्थापित की जायेगी।

3. अनुसूची 51 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम-51 में,-(i) विद्यमान उप-नियम (6) के पश्चात् और विद्यमान उप-नियम (7) से पूर्व, निम्नलिखित (नया उप-नियम (6क) अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-"(6क) लघु अवधि अनुज्ञापत्र धारक भी समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में अभिदाय करेगा।"; और(ii) उप-नियम (9) में,-

(क) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी;(ख) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ग) खण्ड (iv) परंतुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास", जहां कही आयी हो, के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. नियम 52 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम-52 में,-(i) उप-नियम (1) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "निधि और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" अंत:स्थापित की जायेगी;

(ii) उप-नियम (2) के खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "में अभिदाय के अग्रिम संदाय पर" से पूर्व अभिव्यक्ति "निधि और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" अंत:स्थापित की जायेगी; और

(iii) उप-नियम (3) के खण्ड (v ii) उपखण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "समय-समय पर यथासंशोधित जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम" 2016 में विनिर्दिष्ट दरों से" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "अभिदाय:" से पूर्व अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों से राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" अंत:स्थापित की जायेगी।

5. नियम 53 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 53 के उप-नियम (8) के खण्ड (ii) में विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

6. नियम 71 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 71 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान में अभिदाय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में अभिदाय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

7. नियम 77 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 77 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

8. नियम 87 का संशोधन.- उक्त नियमों के नियम 87 के उप-नियम (1) में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

9. प्ररूप 6 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 6 के खण्ड 4 में,-(i) उप-खण्ड (2) की मद (ग) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "जिला खनिज प्रतिष्ठान न्यास नियम, 2016 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "संदाय करेगा" से पूर्व अभिव्यक्ति "और समय-समय पर यथासंशोधित राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास नियम, 2020 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि में" अंत:स्थापित की जायेगी; और (ii) उप-खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

10. प्ररूप 28 का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न प्ररूप 28 की शर्त (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास" के स्थान पर अभिव्यक्ति "प्रतिष्ठान न्यास निधि और राजस्थान राज्य खनिज खोज न्यास निधि" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.12(47)खान/ग्रुप-1/2016]

राज्यपाल के आदेश से,

ओम कसेरा,

संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।